राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

विषयः– ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत/प्रगतिरत आवासों की प्रगति की समीक्षा बाबत।

संदर्भः– ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–8 के आदेश 2015/19 दिनांक 12.07.2016

विषयान्तर्गत प्रासगिंक आदेश द्वारा मुख्यालय से नियुक्त जिला प्रभारी अधिकारी को उनके आवंटित जिलें में प्रत्येक माह में एक बार विभागीय योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश है, जिसमें राज्य सरकार की प्राथमिकताओं की कियान्विती पर लक्ष्य के अनुरूप आवास योजनाओं की भी समीक्षा की जानी है।

प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एंव पंरावि की अध्यक्षता में आयोजित जिला प्रभारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना में आवासीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक के प्रगतिरत/अपूर्ण आवासों को पूर्ण करवाने हेतु प्रत्येक 10 आवासों पर नियुक्त टैग अधिकारियों की सूची (साफ्ट कापी में) एवं अपूर्ण आवासों का पंचायत समितिवार विवरण संलग्न हैं।

अतः आप आवंटित जिलें में भ्रमण के दौरान ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रगतिरत आवासों की समीक्षा के साथ महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत अनुमत 90 अकुशल मानव दिवस के कम में मस्टररोल जारी करने एवं भुगतान की भी समीक्षा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार
(टैग अधिकारियों की सूची
rdprd.gov.in website पर
उपलब्ध है)

(हस्ताक्षर) 1.8.16
शासन सचिव (ग्रावि)

जिला प्रभारी अधिकारी, जिला भरतपुर
श्रीमती सामा सिंह, शासन संयुक्त सचिव (प्रशा०)
ग्रामीण विकास/ पंचायती राज/ महात्मा गॉधी नरेगा
जल ग्रहण विकास/ भू संरक्षण/वाटर शेड/बायोफ्यूल विभाग।

अ. शा. टीप क्रमांक एफ 27(5) ग्रावि/प्र.म.आ.ग्र/एमएनडी/ग्रुप–5/ 2016–17
जयपुर, दिनांक ~~जुलाई~~, 2016
01/8/16

D:\jay\letter to district\Letter.docx

★ ग्रामीण आवासीय योजनाएं ★

संक्षिप्त विवरण

इंदिरा आवास योजना

वर्ष 1985–86 के दौरान आरएलईजीपी की उपयोजना के रूप में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। इसके पश्चात् यह योजना जेआरवाई की उपयोजना के रूप में 1989 से लागू रही। दिनांक 1 जनवरी, 1996 से आईएवाई को एक स्वतंत्र योजना बना दिया गया।

योजना का उद्देश्य :–

आवास मनुष्य का मूलभूत मौलिक अधिकार है। अधिकांश ग्रामीण परिवार विशेषकर जो उपेक्षित है, को आवास उपलब्ध कराने के लिए अनुदान देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना की मुख्य बातें :–

योजना के अंतर्गत सहायता निम्न 3 मदों में उपलब्ध कराई जा रही है :–

1. नये मकान के निर्माण के लिए सहायता ।
2. कच्चे या जीर्ण शीर्ण मकान का उन्नयन।
3. आवास स्थल का प्रावधान।

बीपीएल परिवार को आईएवाई के अंतर्गत 1 अप्रेल, 2013 से नये मकान के निर्माण के लिए 70,000/– रू., कच्चे मकान के उन्नयन के लिए 15,000/– रू. एवं आवास स्थल के खरीद के लिए 20,000/– रू. की सहायता दी जा रही है। इससे पूर्व यह राशि 1985–86 में 10,000/–, 1990–91 में 12,700/– , 1994–95 में 14,000/– , 1996–97 में 20,000 , 2004–05 में 25,000/–, 2008–09 में 35,000/– व 2010–11 में 45,000/– रू. दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों एवं राज्य के अनुसूचित जाति के सभी परिवारों को राज्य मद से अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई गई है।

निधियों का वर्गवार आवंटन :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को 60 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत कुल लक्ष्यों में से आवंटित किये जाते है।

कियान्वयन :–

मकान का निर्माण कार्य स्वयं लाभार्थी को करना होता है। इस हेतु किसी भी ठेकेदार को नहीं लगाया जा सकता है।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत देय लाभ

अनुदान राशि रू –	70000/–
महात्मा गांधी नरेगा से अनुमत 90 अकुशल श्रमिक मानव दिवस की राशि रू –	16290/–
स्वच्छ भारत मिशन द्वारा शौचालय निर्माण हेतु देय राशि रू –	12000/–
कुल अनुदान राशि रू –	98290/–

... पक्का आवास म निवास कर रहे है।

D:\Letter\Aen\Note IAY. CMBPL. & OIG Yojana.docx

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित इन्दिरा आवास योजना का सुदृढीकरण कर वर्ष 2016–17 से **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत **वर्ष 2022 तक सभी को आश्रय** की मंशा के मध्यनजर देशभर में तीन वर्षों 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में देशभर में 1 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिसके अधीन राज्यों की भौतिक उपलब्धि के आधार पर केन्द्रीय सक्षम समिति द्वारा लक्ष्यों का आवंटन किया जावेगा। योजना के कियान्वयन को अधिक सुदृढ़ीकृत कर आगामी 3 वर्षों में राज्य द्वारा 5.00 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करना सम्भावित है। भारत सरकार द्वारा राज्य को योजना अन्तर्गत **वर्ष 2016–17 हेतु 1,87,094** आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत इकाई अनुदान राशि रू. 70000 से बढाकर रू. 120000 की गई है। लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC)–2011 के आंकडों के आधार पर पात्र परिवारों की वरीयता सूची के आधार पर किया जाता है।

योजना का उद्देश्य :–

- ग्रामीण क्षेत्र में जीर्ण–शीर्ण एवं कच्चे आवास में निवास कर रहे परिवारों को वर्ष 2022 तक **मूलभूत सुविधाओं के साथ** पक्का आवास उपलब्ध कराना।
- इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवास का क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर को बढ़ाकर 25 वर्गमीटर किया गया है।
- इकाई अनुदान सहायता राशि रू. 70,000/– से बढ़ाकर रू. 1,20,000/– की गई है।
- केन्द्र व राज्य के बीच राशि वहन का अनुपात 60:40 किया गया है।
- तकनीकी सहायता हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल टैक्नीलक स्पोर्ट ऐजेन्सी का गठन किया जावेगा।
- राज्य स्तर पर भी टैक्नीलक स्पोर्ट ऐजेन्सी का गठन किया जाना अपेक्षित है।
- इच्छुक लाभार्थी को वित्तीय संस्थाओं से रू. 70,000/– ऋण प्राप्ति हेतु आवश्यक सहायोग प्रदान किया जाना है।
- आपदा एवं विशेष आवश्यकता के समय विशेष योजनाएं बनाये जाने का प्रावधान किया गया है।
- प्रावधित राशि में से शेष 5 प्रतिशत राशि विशेष परियोजनाओं यथा प्राकृतिक आपदा, अग्नि/दंगा पीड़ित परिवार एवं विशेष सस्ती टिकाउ तकनीकी के उपयोग से आवास निर्माण की परियोजनाओं हेतु आरक्षित रखी जावेगी।
- ग्रामसभा द्वारा लाभार्थियों के चयन की प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त राज्य द्वारा वार्षिक एवं त्रैवार्षिक लक्ष्य केन्द्र को प्रेषित किये जावेगें।
- केन्द्रीय सक्षम समिति के द्वारा राज्यों की वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदित की जावेगी।
- केन्द्रीय सक्षम समिति द्वारा राज्य हेतु तीन वर्षे के लक्ष्य निर्धारित किये जावेगें।
- योजनान्तर्गत प्रावधित राशि 60:40 के अनुपात में केन्द्र व राज्य के मध्य भारित होगी।

पारदर्शिता हेतु गतिविधियां :–

- राज्य की फ्लैगशीप योजना भामाशाह से जोड़ते हुए PFMS प्रणाली से लाभार्थी के खाते में राशि हस्तान्तरित कराना।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान की तर्ज पर लाभार्थी के आवास निर्माण की "Geo-Tagged" फोटो अपलोड की व्यवस्था स्थापित करना।
- लाभार्थी को सस्ती पर्यावरण अनुकूल तकनीक व सामग्री उपलब्ध कराने के परिपेक्ष्य में आवश्यक स्थानों/स्तरों पर प्रोटोटाईप मॉडल निर्माण कराना एवं महात्मा गांधी नरेगा से सस्ती निर्माण सामग्री का उत्पादन कर लाभार्थियों को निःशुल्क/बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
- लाभार्थी को 90 अकुशल मानव दिवसों का महात्मा गांधी नरेगा योजना से लाभ दिलवाना।
- स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत अनुदान राशि रू. 12,000/– से शौचालय निर्माण।
- भूमिहीन लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु आवासीय भू–खण्ड हेतु सहायता/मार्गदर्शन।